क्रं.–2112847/2019/
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,
तुलसी नगर, भोपाल म.प्र.–462003
दूरभाष–2552646, 2552878, 2552822, फैक्स–2552406, 2551253
email:-encwrbpl_mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 30/07/2019

प्रति,

1. आयुक्त,
   कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय,
   जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
2. परियोजना संचालक,
   एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ (ब्यावरा) ।
3. समस्त मुख्य अभियंता,
   जल संसाधन विभाग,
   मध्यप्रदेश ।
4. वेब मैनेजर, कार्या. प्र.अ.ज.सं.वि.भोपाल, प्रविष्टि हेतु ।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का पालन किये जाने के संबंध में।

––

विषयांतर्गत म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रं.एफ 11–90/2019/सू.अ.प्र./1–9/479 भोपाल दिनांक 21.06.2019 की छायाप्रति मय सहपत्रों के संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि संरचना के अधीन सभी कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक कार्यालय में संलग्न नमूना पत्र अनुसार बोर्ड तैयार कर लगवाया जाए।

सहपत्र – उपरोक्तानुसार।

29.07.19
(एम.एस.डाबर)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

D:/332/Pl-Kr-Sr-/letter/Pl.Sr/U/

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर,भोपाल–462003
दूरभाष –2552646 / 2552878 फैक्स 2552406,
Email. ID- encwrdbpl-mp@nic.in

1	लोक सूचना अधिकारी	श्री महेश कुमार दुबे 07999500531	मुख्य कार्मिक अधिकारी
2	सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्री देवाशीष पाल 09425415755	सहायक यंत्री
3	प्रथम अपीलीय अधिकारी	श्री एम.एस.डाबर 0755–2552646 2552878	प्रमुख अभियंता
4	राज्य सूचना आयोग		

जानकारी हेतु निर्धारित प्रक्रिया

1. जानकारी हेतु राशि रूपये 10 मनीरसीद, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, चालान अथवा नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ आवेदक को आवेदन लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। बी.पी.एल. व्यक्तियों से कार्ड दिखाने पर आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।
2. फाईल देखने हेतु एक घण्टे या उससे कम की फीस रूपये 50.00 तथा इसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनिट या उसके भाग के लिये रूपये 25.00 अतिरिक्त भुगतान करना होगा। बी.पी.एल. व्यक्तियों से कार्ड दिखाने पर यह शुल्क नहीं लिया जायेगा।
3. आवेदन का निराकरण 30 दिवस के अंदर किया जायेगा। चाही गयी जानकारी की लागत (यदि हो तो) आवेदक को जमा करनी होगी। इस लागत की सूचना देने एवं शुल्क जमा होने में लगने वाला समय निर्धारित 30 दिन की अवधि के अतिरिक्त होगा। जानकारी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 धण्टे के अंदर उपलब्ध कराई जायेगी।
4. तृतीय पक्षकार की जानकारी उसकी सहमति पश्चात् ही देय होगी।
5. राशि नगद के रूप में मान्य नहीं होगी।
6. प्रथम अपील शुल्क रूपये 50.00 तथा द्वितीय अपील शुल्क रूपये 100/– मनीरसीद, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, चालान अथवा नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा किया जाना है। (बी.पी.एल. आवेदक से उक्त शुल्क देय नहीं है)

अभिलेख हेतु निर्धारित दरें

फोटो कॉपी हेतु

ए – 3 साईज, ए – 4 साईज	प्रति पेज 2 रूपये
सी.डी. / फ्लापी	प्रति नग 50 रूपये

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय,भोपाल

क्र. एफ 11—90 / 2019 / सूअप्र / 1—9 / 479 भोपाल, दिनांक 21 / 06 / 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय.— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का पालन किए जाने के संबंध में ।

———000———

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश सूचना आयोग, भोपाल से प्राप्त पत्र कमांक क्यू / रासूआ / उमरिया / 2019 / 7602, दिनांक 10.05.2019 के साथ आवेदक श्री वरूण नामदेव, जिला—उमरिया द्वारा मा. मुख्य सूचना आयुक्त को संबोधित ज्ञापन दिनांक 13.02.2019 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त ज्ञापन के बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

E.E.(S.)		S.E.(A)
E.(N.M.)		C.P.O.
C.E.(P)		E.E.(V)
S.E.(Major)		E.E.(B)
S.E.(W)	Sr.P.A.	S.A.(EDP)

(धरणेन्द्र कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

पृ.क्र. एफ 11—90 / 2019 / सूअप्र / 1—9 / 480 भोपाल, दिनांक 21 / 06 / 2019

प्रतिलिपीः—

सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की ओर उनके पत्र कमांक क्यू / रासूआ / उमरिया / 2019 / 7602, दिनांक 10.05.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ पेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

सूचना का अधिकार ...

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-बी, "सूचना भवन" ... हिल्स, भोपाल 462011
दूरभाष नं. 0755-255...1, 2556879 website: www.sic.mp.gov.in

क्रमांक-Q/रासूआ/ उमरिया/2019/ 1662 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ,
बल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।

विषय : सूचना के अधिकार में पालन एवं संशोधन बाबत्।
सन्दर्भ: जिला उमरिया, म.प्र. के समस्त आरटीआई कार्यकर्ता, व्दारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 13,02,2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र व्दारा जिला उमरिया के आरटीआई कार्यकर्ता श्री वरूण नामदेव व्दारा ज्ञापन दिनांक 13.02.2019 आयोग को प्रेषित किया गया है, जिसमें मा0 मुख्य सूचना आयुक्त व्दारा दिये गये आदेशानुसार बिन्दु क्रमांक 01 से 09 आपके कार्यालय से संबंधित है। अतः आवेदन की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

(मा. मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशानुसार)
संलग्नः यथोपरि।

(पराग करकरे)
अवर सचिव
राज्य सूचना आयोग

प्रति

श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त महोदय

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग [illegible] भोपाल (म०प्र०)

विषय- सूचना के अधिकार मे पालन एवं संशोधन बाबत्

महोदय,

निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम [illegible] शासकीय कार्यालयों मे [illegible] सूचना के अधिकार अधिनियम के पत्रो का [illegible] पत्रो की जानकारी नही दी जाती जिससे अनावश्यक प्रार्थी को परेशानी झेलनी पड़ती है।

1. यह कि शासन के नियमानुसार शासकीय विभागो एवं वित्त पोषित संस्था जिन जिन विभागो मे सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है उन सभी विभागो एवं वित्त पोषित संस्था मे सूचना का अधिकार संबंधित नियम कार्यालय मे नही लिखे होने से आम लोगो को परेशानी होती है, जिसे लिखा जाये।
2. यह कि अधिकतर विभागो मे अपीलीय अधिकारी का [illegible] नंबर अंकित नही है, जिसे अंकित कराया जाये।
3. यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी जिले के कलेक्टर को बनाया [illegible] क्योकि संयुक्त [illegible] संभागीय अधिकारी को बनाने से अपीलार्थी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं अन्य परेशानियां होती है।
4. यह कि विभागो मे पारदर्शिता बनाये रखने हेतु सूचना [illegible] दस्तावेज जो सूचना का अधिकार नियमानुसार शासकीय विभागों मे अपीलार्थी को सूचना का अधिकार आवेदन [illegible] पर दिये जा सकते है, जिसे आम जन की जानकारी हेतु प्रदर्शित की जाये।
5. यह कि समस्त विभाग मे एक कर्मचारी को इसी कार्य के लिए [illegible] किया जाये जो समय पर सूचना का अधिकार आवेदन की जानकारी दे। इससे शासकीय कार्य प्रभावित न हो सके।
6. यह कि अपीलार्थी को प्रथम व द्वितीय अपील [illegible] अनुपस्थित होना [illegible] क्योंकि अपीलार्थी को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक व समय अभाव के कारण वह नहीं पहुंच पाता। अपीलार्थी के प्रथम या द्वितीय अपील [illegible] जिस कार्यालय से सूचना का अधिकार का आवेदन किया गया है, उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी से दिलवाया जाये ताकि अपीलार्थी को अनेक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
7. यह कि द्वितीय अपील का निराकरण समय सीमा के भीतर करने की व्यवस्था लागू की जाये। कई बार देखा जाता है कि वकीलों के आवेदनों पर ही शीघ्र विचार किया जाता है जिससे [illegible] आवेदक अनावश्यक परेशान होता है। जिससे कानून का उल्लंघन होता है।
8. यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी पर जानकारी न देने पर जुर्माने का प्रावधान होने के बाद भी प्रथम अपील अधिकारी द्वारा ऐसा नही किया जाता है।
9. यह कि सूचना का अधिकार से संबंधित नियम कार्यालय मे [illegible] करवाये जायें ताकि आम जनता को सूचना का अधिकार नियम कानून की सही व सटीक जानकारी हो सके।
10. यह कि म०प्र० राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलार्थी को पत्र भेजे जाने पर संदर्भित आवेदन से संबंधित पत्र क्रमांक, विभाग का नाम, दिनांक को संदर्भित करे। जिससे अपीलार्थी समझ सके कि किस आवेदन का पत्र आया हुआ है।
11. यह कि राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदेश के हर जिले मे शिविर लगाकर अपीलार्थी की द्वितीय अपील का समय सीमा मे निराकरण किया जाये।
12. यह कि द्वितीय अपील का निराकरण अपीलार्थी के फोन नंबर या वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं अन्य सरलीकरण का उपयोग करते हुए निराकरण करवाया जाये जिससे अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम का लाभ आसान तरीके से मिल सके।

अतः श्री मान से निवेदन है कि [illegible] आवेदन के हर बिन्दु पर विचार [illegible] हुए जन हित व लोक हित मे [illegible] जिससे [illegible] सूचना का अधिकार अधिनियम [illegible] सके। इससे [illegible]

दिनांक 15-01-2019

स्थान [illegible]

समस्त आवेदक [illegible]

[illegible]